न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 –71/19

1. मसेरी पुत्र सुखराम पुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम ढाणी अम्बरपुर तहसील राजाखेडा .....वादी

बनाम

1. रामपुरी
2. रामेश्वर
3. माताप्रसाद

पुत्रगण नारायन पुरी अकबाम गुंसाई निवासीगण ग्राम ढाणी अम्बरपुर तहसील राजाखेडा

4. नरोत्तम पुरी पुत्र श्रीप्रसाद पुरी
5. पवन पुत्र भगवानदेई जाति गुंसाई निवासी ग्राम ढ़ाणी अम्बरपुर राजाखेड़ा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा .....प्रतिवादीगण

दावा: अधीन धारा 88, 188 एवं 136, राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :–
1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विमल शर्मा वकील वादी

निर्णय

दिनांक :– 18.07.2022

मूल वाद सं. 71/19

वादीगण ने यह वाद अधीन धारा 88, 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 अन्तर्गत भूराजस्व अधिनियम आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 272 रकवा 8 विस्वा, 273 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा, 274 रकवा 3 विस्वा एवं 275 रकवा 3 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा स्थित ग्राम जरिहा न0 1 तहसील राजाखेडा है। वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार कृषक नारायनपुरी पुत्र चन्दनपुरी व सुखरामपुरी पुत्र लक्षिमनपुरी बाहिस्सा बराबर के अभिलिखित खातेदार कृषक थे। नारायनपुरी व सुखरामपुरी का निधन हो चुका है। करीब 55 वर्ष पूर्व सुखरामपुरी का निधन हुआ था। सुखरामपुरी ने अपने पीछे विधिक वारिसान के रूप में वादी को छोड़ा था, जिसने वादग्रस्त आराजी पर 1/2 भाग पर आधिपत्य प्राप्त किया। नारायनपुरी ने अपने देहान्तोपरान्त पुत्रगण के रूप में रामपुरी, रामेश्वर, माताप्रसाद व स्व0 श्रीप्रसादपुरी तथा पुत्री के रूप में भगवानदेई को छोड़ा था जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 एवं 5 हैं। श्रीप्रसादपुरी का देहान्त हो गया है, उसका कानूनी वारिस नरोत्तमपुरी है। जो कि प्रतिवादी सं0 4 है, जिन्होंने अपने पिता नारायनपुरी के हि0 1/2 भाग में संयुक्त रूप से कब्जा है। बन्दोबस्त से पूर्व वादग्रस्त आराजी ख0 न0 व साबिक न0 272 रकवा 8 विस्वा गत ख0न0 2454 मी. रकवा 0.10 वी., ख0न0 273 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा का गत ख0न0 2662 मी. रकवा 0.11 वी., 2663 मी. रकवा 0.19 वी.., 2454 मी. रकवा 1.06 वी., हाल ख0न0 274 रकवा 3 विस्वा का गत ख0न0 2663 मी. रकवा 0.01 वी. एवं 2454 मी. रकवा 0.03 वी. एवं हाल ख0न0 275 का गत ख0न0 2663 मी. रकवा रकवा 0.01 वी. एवं 2454 मी. रकवा 0.03 वी. है। बन्दोबस्त ने जब नवीन राजस्व अभिलेख तैयार किया उस समय त्रुटिपूर्ण अंकन सुखरामपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी की बजाय रामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी अंकित कर दिया गया जबकि नारायनपुरी के पुत्र कानाम रामपुरी है। चूंकि नारायनपुरी व सुखरामपुरी के निधनोपरान्त अभी नामान्तकरण नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में बाद बन्दोबस्त की ही स्थिति अंकित है। 30 दिन पूर्व जब दोनों पक्षों में अपने–अपने पिता के नामान्तकरणके बाबत पटवारी से बातचीत की तो इस त्रुटि की जानकारी सामने आयी। उस समय प्रतिवादीगणों ने त्रुटि सुधारने का आश्वासन वादी को दिया था। किन्तु 8 दिन पूर्व ही दीगर व्यक्तियों के भडकाने में आकर प्रतिवादीगण वादी से कब्जा छोड़ने की धमकी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

Scanned with CamScanner

लगे हैं और उन्होंने बन्दोबस्त के द्वारा की गई गलती को सही कहने की प्रवचना करने लगे तथा वादी के हिस्से पर आक्षेप करने लगे। वादी ने जब बन्दोबस्त से पूर्व नकल हासिल की, जिसमें खतौनी स0 490 पर स्पष्ट सुखरामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी अंकित है। बन्दोबस्त में सहवन से 'सुख' शब्द अंकित होने से रह गया है। इसके साथ नारायानपुरी के पुत्र का नाम भी रामपुरी है। अतः प्रतिवादीगण इसी कारण वादी का विरोध राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि के आधार पर कर रहे हैं। वादकारण 8 दिन पूर्व प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के हिस्से पर आक्षेप करने पर उत्पन्न जरिहा न01 में हुआ। प्रतिवादी स0 6 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार प्रकरण है। वाद पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। दावा वादी निम्नानुसार डिक्री किया जावे–वादी सुखरामपुरी का कानूनी वारिस है तथा विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काबिज कृषक है तथा बन्दोबस्त की त्रुटि को लिपिकीय भूल को सुधारा जाकर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्याा 1, 2, 3, 4 की तलबी होने के बाबजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। । प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित आये।प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही की गई है। संशोधित टाईटल में प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से कराई गई। बाबजूद तामील प्रतिवादी संख्या 5 न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पी.डब्लू–1 मसेरी व पी.डब्लू–2 भानपुरी के बयान न्यायालय में लिपिबद्ध कराये गये।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सवंत 2019 से 2022 की जमाबंदी एक्स–4 में हिस्से का कोई विवाद नहीं है। भू प्रबंध की सवंत 2022 की जमाबंदी में रामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी अंकित हो गया है जबकि बंदोबस्त से पूर्व सुखराम पुत्र लक्ष्मनपुरी था। एक्स–2 जो नये बंदोबस्त ने नये नम्बर बनाये है उनका मिलान क्षेत्रफल एक्स–3 पर पेश किया हुआ है। सुखरामपुरी फौत हो गये हैं, उसका वारिस वादी है। नारायनपुरी भी खत्म हो चुके हैं। नारायनपुरी के पुत्र का नाम रामपुरी है, जो प्रतिवादी सं0 1 है। जिसकी ओर से कोई जबाबदेही नहीं हुई। नारायनपुरी के अन्य वारिसान की ओर से कोई जबाबदेही या क्लेम नहीं हुआ है। अतः मेरा दावा स्वीकार करते हैं यह माना जावेगा। भूप्रबंध ने गलती की है जो रामपुरी वादी के पिता का नाम लिखा हुआ है व सुखरामपुरी है उसका वारिस वादी है और विवादित आराजी को घोषित करा पाने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य वादी एवं स्वतंत्र गवाह के द्वारा दावा सिद्ध है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, मनन एवं अवलोकन किया। प्रदर्श–4 पर जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 में मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बरान जो प्रदर्श–3 पर हैं। गत ख.न. 2454 मी. रकवा 10 विस्वा से हाल ख.न. 272 रकवा 8 विस्वा, गत ख.न. 2662 मी. रकवा 11 विस्वा, 2663 मी. रकवा 14 विस्वा 2454 रकवा 1 विस्वा 1 विस्वांषी से हाल ख.न. 273 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा, गत ख.न. 2663 मी. रकवा 1 विस्वा 2454 मी. रकवा 3 विस्वा हाल ख.न. 274 रकवा 3 विस्वा, गत ख.न. 2663 मी.रकवा 1 विस्वा, 2454 मी. रकवा 3 विस्वा से हाल ख.न. 275 रकवा 3 विस्वा बने हैं। प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 जिनमें नारायनपुरी वल्द चन्दनपुरी व सुखरामपुरी वल्द लक्ष्मिनपुरी कौम गुंसाई सावक नया गांव मजरा देह व हिस्सा बराबर गैर खातेदार दर्ज है। भूप्रबंध सम्वत 2022 की जमाबंदी हाल ख.न. 272, 273, 274, 275 नारायनपुरी पुत्र चन्दरपुरी व रामपुरी पुत्र लक्ष्मिनपुरी जाति गंसाई सा. देह ढ़ाणी नया गांव दर्ज प्रविष्टि है प्रदर्श–2 जिसमें भूप्रबंध की गलती से सुखलालपुरी वल्द लक्ष्मिनपुरी के स्थान पर रामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी अंकित हो गया है। भूप्रबंध विभाग के रिकॉर्ड में हुई यह त्रुटि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–1 में भी रामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी त्रुटिपूर्ण अंकित है। दावा वादी स्वत्व घोषणा रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर रामपुरी पुत्र लक्ष्मनपुरी के स्थान पर सुखरामपुरी वल्द लक्ष्मिनपुरी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार वाद तकमील होकर दखील दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

Scanned with CamScanner